v/;k;&V½ okfudh rFkk oU; ik.kh

5-1 dj प्रशासन

वन विभाग, वन, वन्य प्राणियों एवं उनके आवास के संरक्षण, नागरिकों को पर्यावरणीय सुरक्षा सेवाएँ देने, पर्यटन मूल्यों की सुरक्षा एवं उन्नयन और वनोपज उत्पादन एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है।

वन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है, जो कि शासन स्तर पर विभाग का मुख्य नियंत्रण अधिकारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) एवं वन बल प्रमुख विभाग का प्रमुख होता है। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्र.मु.व.सं. के देखरेख में कार्य करते है। प्र.मु.व.सं. को वृत्त स्तर पर मुख्य वन संरक्षक द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है और उन्हें वनमंडलाधिकारी द्वारा वनमंडल स्तर पर सहयोग प्रदान किया जाता है। विभाग के संगठनात्मक संरचना को नीचे दिये गये pkVZ 5-1 में दर्शाया गया है।

pkVZ 5-1½ laxBukRed lajpuk

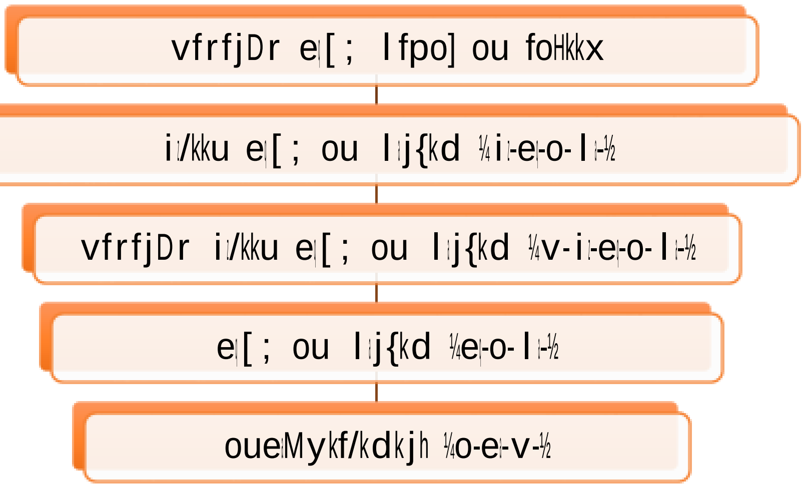

वन विभाग ने वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 0.81 प्रतिशत एवं राज्य शासन के कुल राजस्व[1] का 0.36 प्रतिशत योगदान दिया।

वर्ष 2018–19 के दौरान वन विभाग के मासिक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता थी जो कि वर्ष के कुल प्राप्ति ₹ 236.73 करोड़ में से फरवरी 2019 एवं मार्च 2019 में क्रमशः 11.42 प्रतिशत तथा 2.83 प्रतिशत थी जैसा कि नीचे दिये गये pkVZ 5-2 में देखा जा सकता है:

[1] राज्य के स्वयं का राजस्व, सहायता अनुदान और विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा का निवल आगम सम्मिलित है।

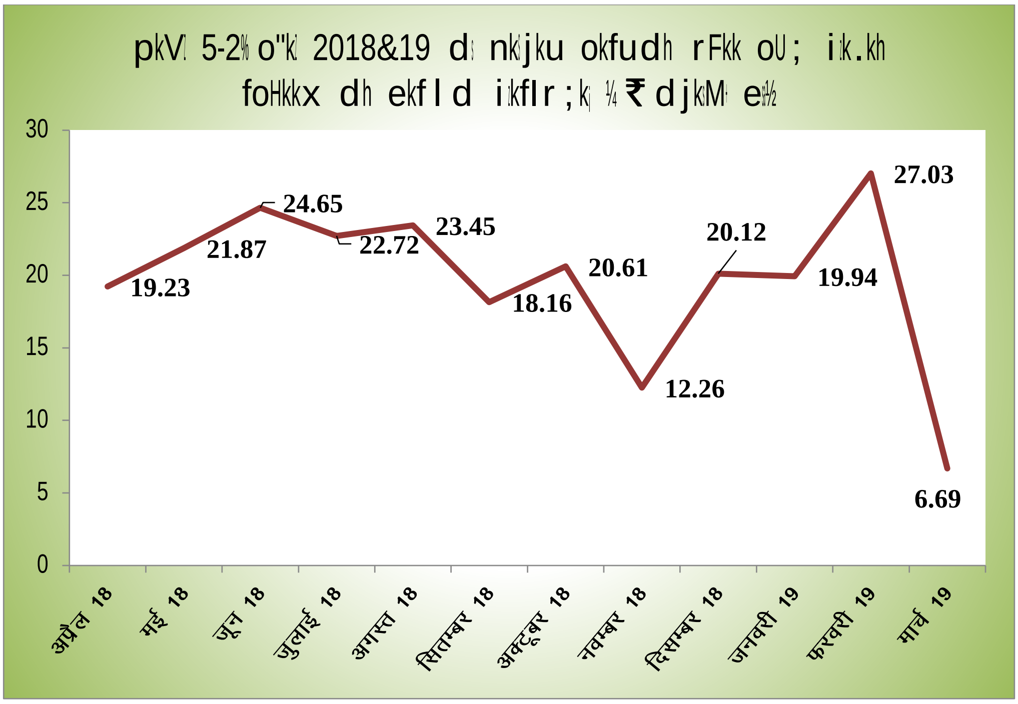

5-2 y[kkijh{kk ifj.kke

विभाग प्रासंगिक अधिनियम, संहिता एवं नियमावली के अनुरूप कार्यरत है एवं सरकार के हितों की रक्षा की जा रही है का आश्वासन हासिल करने के लिए वर्ष 2018–19 में, वन विभाग से संबंधित 68 कार्यालयों में से 15[2] के अभिलेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा द्वारा की गई। वर्ष 2017–18 के दौरान विभाग द्वारा कुल किया गया व्यय एवं अर्जित राजस्व क्रमशः ₹ 1,162.09 करोड़ एवं ₹ 291.17 करोड़ था। वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों का कुल व्यय ₹ 336.20 करोड़ एवं अर्जित राजस्व ₹ 99.00 करोड़ था जो कि कुल व्यय एवं कुल अर्जित राजस्व का क्रमशः 28.93 एवं 34 प्रतिशत था। लेखापरीक्षा ने 526 प्रकरणों (व्यय से संबंधित 308 प्रकरणों में ₹ 54.28 करोड़ एवं राजस्व से संबंधित 218 प्रकरणों में ₹ 67.64 करोड़) में ₹ 121.92 करोड़ तक की अनियमिततायें पायी जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आती है जैसा कि rkfydk 5-1 में दिया गया है।

rkfydk 5-1% y[kkijh{kk ifj.kke

¼₹ djkM e½

l-Ø-	J.kh	idj.kk dh l[;k	jkf'k
v- 0;;			
1.	अतिरिक्त व्यय	37	2.18
2.	अनियमित व्यय	20	6.42
3.	परिहार्य व्यय	44	7.54
4.	अलाभकारी व्यय	1	0.15
5.	अन्य अनियमिततायें	206	37.99
;kx		308	54-28

[2] मु.व.सं. रायपुर एवं बिलासपुर, व.म.अ., रायपुर, मारवाही, धरमजयगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, भानुप्रतापपुर, गरियाबन्द, बलौदाबाजार, महासमुन्द, कोरबा, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़ एवं राजनंदगाँव

c- ikfIr;k			
6.	वनोपज की क्षय/कमी के कारण राजस्व की अप्राप्ति	7	1.18
7.	काष्ठ/बाँस के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि	15	10.37
8.	अवरोध मुल्य से कम पर काष्ठ की बिक्री	6	6.19
9.	अन्य अनियमिततायें	190	49.90
	;kx	218	67-64
	dqy ;kx	526	121-92

वर्ष 2018–19 के दौरान विभाग ने ₹ 5.59 करोड़ के 23 लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। विभाग के अंतर्गत अन्य इकाईयाँ में भी इसी प्रकार की समान अनियमिततायें, त्रुटियां या चूक हो सकती है जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच नहीं की गई है। अतः विभाग इन मुद्दों का सभी इकाईयों में परीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों का अनुपालन हो।

5-3 mipkj dk;kZsa dh vfrPNknu dh dkj.k ifjgk;Z O;;

f0भागीय निर्देशों का अनुपालन किए बिना दो वनमंडलाधिकारियों द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन पर ₹ 1-30 djksM+ dk ifjgk;Z O;;A

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार (जुलाई 2013), वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्र.मु.व.सं. को भेजने से पूर्व वन संरक्षक, वन मण्डलाधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि ''प्रस्तावित रोपण क्षेत्र में गत पाँच वर्ष में कोई रोपण कार्य अथवा बिगड़े वनों का सुधार कार्य नहीं किया गया है तथा रखरखाव/सुरक्षा का कार्य किसी अन्य मद से प्रगति पर नहीं है। एक ही क्षेत्र में दो विभिन्न मदों से कार्य कराना न केवल अनियमित है बल्कि इससे विभाग की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

इससे पूर्व, प्र.मु.व.सं. ने अपने निर्देश (नवम्बर 2011) में कहा कि सहायक प्राकृतिक पुनरूत्पादन (स.प्रा.पु./ए.एन.आर.[3]) का कार्य चयन–सह–सुधार एवं सुधार कार्यवृत्त के वैसे कुपों में किया जायेगा जहाँ पिछले वर्ष विदोहन कार्य किया गया हो।

कुल 34 में से दो[4] वनमंडलाधिकारियों के अभिलेखों की जाँच (मार्च एवं अप्रैल 2018) में लेखापरीक्षा ने पाया कि क्रमशः बलौदाबाजार एवं बिलासपुर के 12 कक्षों के 1,939 हेक्टेयर और 18 कक्षों के 3,150 हेक्टेयर में ए.एन.आर. का कार्य कराया गया। आगे, वनमंडल की कार्य आयोजना, प्रगति प्रतिवेदनों एवं कक्ष इतिहासों की जाँच में पाया गया कि बलौदाबाजार वनमंडल के 12 में से दो कक्षों एवं बिलासपुर वनमंडल के 18 मे से छः कक्षों के सम्पुर्ण/आशिंक भाग में पहले से ही उपचार कार्य किया जा रहा था जैसा कि **परिशिष्ट** 5-1 में दर्शाया गया है।

चूँकि, इन कक्षों में समान उपचार कार्य किये जा चुके थे/प्रगति पर थे, वनमंडलाधिकारियों को मु.व.सं. को परियोजना प्रतिवेदन भेजने से पूर्व इन तथ्यों को प्रमाणित करना चाहिये था। जबकि न तो वनमंडलाधिकारियों ने पूर्व के उपचार कार्य से संबंधित तथ्य प्रमाणित किया न ही मु.व.सं. ने वनमंडलाधिकारियों से यह प्रमाणित करने हेतु कोई प्रमाणपत्र माँगा कि चिन्हित कूपों में कोई उपचार कार्य किया गया है।

---

3 ए.एन.आर. वानिकी गतिविधि है जो वृक्ष विदोहन के उपरांत एकलीकरण, भू एवं जल संरक्षण तथा सुरक्षा कार्य के द्वारा स्वस्थ कटाई के पुनरूत्पादन को बढ़ावा देती है।

4 व.म.अ., बलौदाबाजार एवं व.म.अ., बिलासपुर

वनमंडलाधिकारियों की ओर से हुई विफलता से न केवल प्र.मु.वं.स. के ओदश का अपालन हुआ और 697.579 हेक्टेयर क्षेत्र में उपचार का अतिच्छादन हुआ बल्कि परिणामस्वरूप ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत ए.एन.आर. कार्य पर राशि ₹ 1.30 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार ने उत्तर में कहा (अप्रैल 2018) कि प्रकरण के सत्यापन पश्चात् कार्यवाही की जायेगी जबकि वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर ने कहा (मार्च 2018) कि ए.एन.आर. कार्य, स्थल की आवश्यकता के अनुसार कराया गया।

वनमंडलाधिकारियों के उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि, इन कक्षों में वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 में उपचार कार्य शुरू किये गये थे और इन कार्यों पर अभी भी व्यय किया जा रहा है। वनमंडलाधिकारी समान कक्षों के लिए विभिन्न मदों से प्रस्ताव भेजते समय इस तथ्य का ध्यान रखने में विफल रहे। आगे, ए.एन.आर. कार्य पुनरर्स्थापना कार्यवृत्त (आर. डब्ल्यु.सी.[5]) में नहीं कराया जाना था।

प्रकरण को अभिमत के लिए शासन के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2020)। उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2020)।

5-4 fcxM ouk dk l/kkj jki.k jfgr dk;l d mij vfu;fer 0;;

rhu oueMykf/kdkfj;k u dk;l vk;kstuk d iko/kkuk dk mYy/ku djr g, o{kkjki.k dk;oUk d 1]418-557 gDV;j fjDr ouk e jki.k jfgr fcxM ouk dk l/kkj dk;l djk;k] ifj.kkeLo:i ₹ nk djkM dk vfu;fer 0;; gvkA

कार्य आयोजना कोड, 2014 के स्थायी निर्देश के अनुसार, वृक्षारोपण कार्यवृत्त (पी.एल. डब्ल्यु.सी.) में अधिकांशतः खुले हुए रिक्त वनों को शामिल किया गया है जो जैविक दवाब के प्रति अति संवेदनशील है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ भण्डार से वनों को पुर्नस्थापित करने की संभावना बहुत कम है। इस कार्यवृत्त के गठन का उद्देश्य वृक्षारोपण द्वारा रिक्त वनों में पुनरूत्पादन करना एवं भू–क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों को भूमि संरक्षण कार्य द्वारा संरक्षित करना है। इस कार्यवृत्त का उपचार दो विधियों से प्रावधानित है, प्रथम पूर्व के असफल वृक्षारोपण एवं द्वितीय रिक्त/अनुत्पादक अल्प जड़ भण्डार क्षेत्र के लिए। कार्य आयोजना कोड के अनुसार, 20 हेक्टेयर से बड़े रिक्त और अनुत्पादक जड़ भण्डार क्षेत्र को सिंचित/असिंचित वृक्षारोपण द्वारा उपचारित किया जाना है। कोई क्षेत्र जहाँ पूर्व वृक्षारोपण असफल रहा, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर वृक्षारोपण/बीज बुआई द्वारा पुनरूत्पादित किया जा सकता है।

कुल 34 में से तीन[6] वनमंडलाधिकारियों के अवधि 2015–16 और 2016–17 के आवंटन नस्तियों, कार्य आयोजना एवं परियोजना प्रतिवेदनों की नमूना जाँच (मार्च एवं दिसम्बर 2017 के मध्य) में लेखापरीक्षा ने पाया कि वनमंडलाधिकारियों ने वृक्षारोपण कार्यवृत्त के 21 कक्षों में 2,121.676 हेक्टेयर में बिगड़े वनों का सुधार (आर.डी.एफ.) रोपण रहित का उपचार कार्य कराया। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा इन कक्षों की स्थिति की नमूना जाँच उनके कक्ष इतिहास से की गई और पाया गया कि इन 21 कूपों के 1,418.557 हेक्टेयर रिक्त वन में आर.डी.एफ. रोपण रहित कार्य से उपचार किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 5-2** में दर्शाया गया है। कार्य आयोजना के प्रावधानों एवं क्षेत्र की स्थिति के अनुसार रिक्त क्षेत्रों को सिंचित/असिंचित वृक्षारोपण से उपचारित किया जाना था। परन्तु,

5 आर.डब्ल्यु.सी. कार्यवृत्त में रिक्त अथवा अल्प सन्निधी वाले बिगड़े वन समाविष्ट होते है। इस कार्यवृत्त के रिक्त क्षेत्रों को वृक्षारोपण एवं अल्प सन्निधी वाले क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ भण्डार का ड्रेसिंग, अंगीकरण, सुरक्षा एवं संरक्षण द्वारा उपचारित किया जाना है।

6 व.म.अ., दंतेवाड़ा, व.म.अ., कटघोरा एवं व.म.अ., मारवाही

वनमंडलाधिकारियों ने इन कक्षों के रिक्त क्षेत्रों के लिए आर.डी.एफ. रोपण रहित का प्रस्ताव प्रेषित किया जिसे मु.व.सं. ने तकनीकि स्वीकृति प्रदान की। अतः कार्य आयोजना कोड के प्रावधानों का उल्लंघन कर 1,418.557 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण रहित का उपचार किये जाने के परिणामस्वरूप राशि ₹ दो करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

इंगित किये जाने पर वनमंडलाधिकारी, मरवाही ने उत्तर में कहा (मई 2017) कि कार्य किये जाने से पूर्व सतत् रिक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं था। अतः इन क्षेत्रों में रोपण रहित उपचार कार्य किया गया। वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2017) कि सभी कूपों में अतिक्रमित क्षेत्र थे और यदि वृक्षारोपण किया जाता तो ग्रामीणों को रास्ते में अवरोध के कारण आवाजाही में परेशानी होती और उनके द्वारा क्षेत्र में बाड़ाबन्दी का विरोध किये जाने की भी संभावना थी। उनके द्वारा आगे कहा गया कि ऐसी स्थिति में रोपण रहित का उपचार किया जाना ही उचित था। वनमंडलाधिकारी, कटघोरा द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी पर निर्दिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है, वनमंडलाधिकारी, मरवाही के प्रकरण में कक्ष इतिहास के अनुसार वृक्षारोपण कार्यवृत्त के इन कक्षों में पर्याप्त रिक्त स्थल उपलब्ध थे और कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप इन रिक्त स्थलों को केवल वृक्षारोपण के द्वारा उपचारित किया जाना था। इसी प्रकार, वनमंडलाधिकारी, दंतेवाड़ा का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि स्थल की सुरक्षा हेतु इन कक्षों में बाड़ाबन्दी कार्य कराया गया है।

प्रकरण को अभिमत के लिए शासन के ध्यान में लाया गया (मई 2020), उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2020)।